

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 384/2019

विपिन पुत्र रविन्द्र बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ वादी

बनाम

- 1. निपुन बिश्नोई पुत्र रविन्द्र बिश्नोई
 - 2. भूपराम उर्फ रविन्द्र पुत्र मनफूल
 - 3. शीलावन्ती पत्नी मनफूल
- जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसालं कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी विपिन को चकनं 8 एफटीपी ए के खातासं 34/32 में कुल 6.490 है 0 में प्रतिवादीसं 1 निपुन का 1/2 हिस्सा, चकनं 8 एफटीपी ए के प 0 नं 209/245 मु 4 किलानं 14, 15/1/.215, 15/2/.038 है 0 रास्ता, 16/1/.215, 16/2/.038 है 0 रास्ता, 17,18,19,21,22,23,24, 25/1/.215, 25/2/.038 है 0 ख.प्रतिवादीसं 1 निपुन बिश्नोई को चकनं 8 एफटीपी ए के प 0 नं 209/246 मु 13 किलानं 1 ता 20 मय गै 0 मु 0 रास्ता, प 0 नं 208/246 मु 12 किला नं 4/1/.228, 4/2/.025 है 0 खाला, 5/1/.202, 5/2/.051 है 0 खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है 0 खाला, 7,14,15/1/.228, 15/2/.025 है 0 खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है 0 खाला, 17,24 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किया जाकर चकनं 8 एफटीपी ए के खाता सं 34/32 मे से विपुण कुमार की जगह विपिन पढ़ा जावे व चकनं 8 एफटीपी ए के खाता सं 34/32 मे से निपुन कुमार व इसी चक के खाता सं 44/45 मे से भूपराम उर्फ रविन्द्र व शीलावन्ती का नाम कलमजन किये जाने व चक नं 8 एफटीपी के खाता सं 32/34 मे से नाबालिगान शब्द हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/11/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी